विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 29 / 2026

सस्थित दिनांक 16.07.2026

Shri A. Kameshwar Rao, ...परिवादी

Add. - Near D.M. Rao Complex,

Pole No. RLY/E17/C2, Sanyasipara,

Khamtarai, Raipur (C.G.)

Mob.No. :- 8871828299, 7697579221

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित)

अपने परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन का देयक, पिछले कुछ महीनों से उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का प्रेषित किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं मीटर की कार्यप्रणाली की जांच करते हुए उसकी समस्या का निराकरण किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. डी.एम. राव काम्पलेक्स के पास, खमतराई रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, घरेलू उपयोग हेतु, 2.0 कि. वा. भार का विद्युत कनेक्शन, बी.पी.क्रमांक 1002011870 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. परिवादी को माह अप्रैल, मई एवं जून 2026 का क्रमशः 795, 799 एवं 788 यूनिट का विद्युत देयक उत्तरवादी द्वारा प्रेषित किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से उत्तरवादी द्वारा प्रेषित विद्युत देयक अत्यधिक राशि का होने के कारण त्रुटिपूर्ण है । परिवादी के अनुसार संभवतः उसके परिसर स्थित विद्युत मीटर की खराबी के कारण अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने की परिस्थिति निर्मित हुई है । परिवादी द्वारा अपने मीटर की जांच किए जाने एवं अत्यधिक राशि के देयक संबंधी अपनी समस्या का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया है ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 615 दिनांक 10.08.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के निवेदन पर कार्यवाही करते हुए, परिवादी के मीटर की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए, परिवादी के परिसर में दिनांक 03.08.2026 को चेक मीटर स्थापित किया गया । दिनांक 10.08.2026 को पुनः दोनों मीटर की रीडिंग लिए जाने पर इस अवधि में मुख्य मीटर में 97.9 यूनिट एवं चेक मीटर में 98.1 यूनिट खपत दर्ज होना पाया गया । इससे स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर में स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली सही है एवं इसमें दर्ज खपत के आधार पर परिवादी को प्रेषित विद्युत देयक सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या परिवादी के परिसर में चेक मीटर स्थापित करते हुए परिवादी के मीटर की कार्यप्रणाली की जांच करने का उत्तरवादी का तरीका सही एवं नियमानुसार है ।

(ii) क्या चेक मीटर लगाने के पश्चात प्राप्त खपत संबंधी आंकड़ो से परिवादी के मीटर की कार्यप्रणाली का सही होना प्रमाणित होता है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपने परिसर स्थित मीटर की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त करते हुए उसकी कार्यप्रणाली की जांच किए जाने का निवेदन किया गया था । उत्तरवादी के अनुसार उसके द्वारा परिवादी के मीटर की कार्यप्रणाली की जांच के लिए दिनांक 03.08.2026 को परिवादी के परिसर में चेक मीटर स्थापित कर दिया गया है ।

अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन) 2024 की कंडिका 31 यथा "New sub-Regulation (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) and (o) shall be added after Regulation 8.16 of the Principal Code" की उपकंडिका (एल) यथा –

(l) Where complaints are received from consumers related to excess reading/billing, check meters are to be compulsorily installed. एवं उपकंडिका (एन) यथा –

(n) The check meters shall be installed for a continuous period of not less than three months and the reading, so registered, should be reviewed

for every billing cycle against the reading of the smart meter for the same period. Corrective action if required is to be ensured without any delay.

उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के परिसर स्थित मीटर की कार्यप्रणाली की जांच के लिए चेक मीटर स्थापित करने की उत्तरवादी कार्यवाही सही एवं सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के परिसर में दिनांक 03.08.2026 को चेक मीटर स्थापित करते हुए उत्तरवादी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को दोनों मीटर की रीडिंग दर्ज की गयी जिसके अनुसार परिवादी के मुख्य मीटर में दर्ज खपत, चेक मीटर में दर्ज खपत के लगभग बराबर (मुख्य मीटर में 97.9 यूनिट खपत एवं चेक मीटर में 98.1 यूनिट खपत) पायी गयी । उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि चेक मीटर स्थापना के बाद प्राप्त आंकड़ों से परिवादी के मीटर की कार्यप्रणाली का सही होना प्रमाणित होता है ।

8. फोरम के समक्ष परिवादी द्वारा अपने परिसर स्थित स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के सही प्रमाणित होने के तथ्य से सहमति व्यक्त की गयी ।

9. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) परिवादी के परिसर में चेक मीटर स्थापित करते हुए उत्तरवादी द्वारा मीटर की कार्यप्रणााली से जुड़ी परिवादी की शंकाओं का निवारण कर दिया गया है ।

(ii) उत्तरवादी की कार्यवाही के प्रति परिवादी द्वारा व्यक्त की गयी संतुष्टि के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष